अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (24) के उपखंड (xii) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (vक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ज) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित स्टाक एक्सचेंज का व्यापार या समाशोधन अधिकार है, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ;

(जक) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी कंपनी में आबंटित साधारण शेयर है या शेयर हैं, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ।"।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 6 का संशोधन।

'(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो ;

(ख) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो ।'।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, विद्यमान स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "कारबारी सम्पर्क" में कोई कारबार या क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे अनिवासी की ओर से,—

(क) संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और भारत में अभ्यासतः अनिवासी की ओर से उसका प्रयोग करता है परंतु यह तब जबकि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए माल या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं है ; या

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का भारत में अभ्यासतः स्टाक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है ; या

(ग) भारत में अभ्यासतः अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी का है, मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आदेश प्राप्त करता है :

परंतु यह कि ऐसे कारबारी संपर्क में किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, किया जाने वाला कोई कारबारी क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होगा यदि ऐसा दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्य कर रहा है ।

स्पष्टीकरण 3—पूर्वगामी परंतुक के प्रयोजनों के लिए, किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कमीशन अभिकर्ता कहा गया है), स्वतंत्र प्रास्थिति का समझा जाएगा, जहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों के लिए, जो नियंत्रण कर रहे हैं या जिनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो उस अनिवासी का है, मुख्य रूप से या संपूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है ।'।

धारा 10 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (6ग) में, "फीस के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "स्वामिस्व या फीस के रूप में" शब्द, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे;

(ख) खंड (10ग) में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(i) आरंभिक भाग में, "के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त कोई रकम" शब्दों के स्थान पर, "के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त या प्राप्त किए जा सकने वाली कोई रकम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय" शब्दों के स्थान पर, "अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (10घ) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(10घ) जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, जो,—

(क) धारा 80घघ की उपधारा (3) या धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त किसी राशि से ; या

(ख) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से ; या

(ग) किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए पालिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संदत्त प्रीमियम, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक है, के अधीन प्राप्त किसी राशि से,

भिन्न है :

परंतु इस उपखंड के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त की गई किसी राशि को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि इस उपखंड के अधीन वास्तविक बीमा पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण को प्रभाव दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" से किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के संबंध में, जो प्रथम वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या था या प्रथम वर्णित व्यक्ति के कारबार से किसी भी रीति से संबंधित है या था, ली गई कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है ।' ;

(घ) खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (छ) में, "केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार" शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2003 से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (23खखघ) में, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्ववर्षों के लिए" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले निर्धारणों वर्षों से सुसंगत सात पूर्ववर्षों के लिए" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(च) खंड (23घ) में, आरंभिक भाग में, "पारस्परिक निधि की आय" शब्दों के स्थान पर, "अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारस्परिक निधि की आय" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(छ) खंड (23ङख) में, "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" शब्दों के स्थान पर, "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ज) खंड (23चक) में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(झ) खंड (23छ) में,—

(i) "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या किसी होटल परियोजना या किसी अस्पताल परियोजना" शब्द 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 1 में,—

(अ) खंड (क) में, "किसी अवसंरचना सुविधा का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "के कारबार में" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "किसी अवसंरचना सुविधा का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "के कारबार में" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(छ) "होटल परियोजना" से केंद्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत किए गए कम से कम तीन-सितारा प्रवर्ग के किसी होटल के सन्निर्माण की कोई परियोजना अभिप्रेत है ;

(ज) "अस्पताल परियोजना" से रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले किसी अस्पताल के सन्निर्माण की कोई परियोजना अभिप्रेत है ।';

(ञ) खंड (26खख) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(26खखख) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संविधान के प्रारंभ से पूर्व संघ के सशस्त्र बलों या भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों में (किन्तु असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना, जम्मू-कश्मीर मिलिशिया और राज्यक्षेत्रीय सेना को छोड़कर) किसी भी पंक्ति में, चाहे योधक या गैर-योधक रूप में, अनुप्रमाणन के पश्चात् छह मास से अन्यून की निरंतर अवधि के लिए सेवा की है और उसे कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के रूप से भिन्न किसी रूप में निर्मुक्त किया गया है और किसी मृत या असमर्थ भूतपूर्व सैनिक की दशा में जिसके अंतर्गत उसकी पत्नी, बच्चे, पिता, माता, अवयस्क भाई, विधवा पुत्री और विधवा बहन भी है, जो ऐसे भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु या असमर्थता से ठीक पूर्व उस पर पूरी तरह आश्रित थे;';

(ट) खंड (32) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2002 का 58

"(33) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट है और जहां ऐसी आस्ति का अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् होता है, उद्भूत कोई आय ;";

(ठ) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (33) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(34) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश ;

(35)(क) खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय ; या

(ख) प्रशासक से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय ; या

(ग) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय,

के रूप में कोई आय :

परंतु यह खंड, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि के यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

2002 का 58

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ।

2002 का 58

(ख) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(36) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी के साधारण शेयर हैं और उन्हें 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2004 से पूर्व अर्जित किया गया है, उद्भूत कोई आय ।'।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10क में,— धारा 10क का संशोधन।

(क) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "इस धारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलिय कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पारिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलिय कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता ।";

(घ) उपधारा (9) और उपधारा (9क) का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) स्पष्टीकरण 1 का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(च) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।'।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 10ख का संशोधन।

(क) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलीत कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पारिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीत कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता ।";

(ख) उपधारा (9) और उपधारा (9क) का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्पष्टीकरण 1 का लोप किया जाएगा ;

(घ) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।'।

धारा 10ग का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 10ग की उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम को 1 अप्रैल, 2004 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 11 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3क) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि ऐसा न्यास या संस्था, जिसने उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय विनिहित या निक्षिप्त की है, विघटित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी, उस वर्ष में, जिसमें ऐसा न्यास या संस्था विघटित हुई थी, उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी आय के उपयोग को अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

धारा 16 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 16 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व,—

(अ) पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;

(आ) पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती ;"।

धारा 30 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 30 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) में निर्दिष्ट मरम्मत के खर्च की बाबत संदत्त रकम और खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चालू मरम्मत की बाबत संदत्त रकम, पूंजी व्यय के प्रकार के किसी व्यय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।"।

धारा 31 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 31 के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम में पूंजी व्यय की प्रकृति का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।"।

धारा 33कख का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 33कख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) पार्श्वशीर्ष में, "खाता" शब्द के पश्चात्, "और काफी विकास खाता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "चाय निक्षेप खाते" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "निक्षेप खाते" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में,—

(अ) "चाय उगाने और विनिर्मित करने" शब्दों के स्थान पर, "चाय या काफी उगाने और विनिर्मित करने" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "अपनी आय की विवरणी देने" के स्थान पर, "अपनी आय की विवरणी देने की सम्यक् तारीख" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "चाय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर, "चाय बोर्ड या काफी बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों से आरंभ होने वाले और "कोई रकम जमा की है," शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, चाय बोर्ड या काफी बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धा रिती द्वारा खोले गए किसी खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप खाता कहा गया है) कोई रकम जमा की है, ";

(घ) उपधारा (4) में, आरंभिक भाग में "उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अ र्थात् :—" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने के कारबार में लगे निर्धारिती को, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अर्थात् :—" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां भारत में काफी उगाने और विनिर्माण करने के कारबार में लगे निर्धारिती के विशेष खाते और निक्षेप खाते में जमा कोई बकाया राशि, जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी पूर्ववर्ष के दौरान जारी की जाती है या निक्षेप खाते से निर्धारिती द्वारा निकाली जाती है, और ऐसी राशि निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की जाती है,—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसे किसी कार्यालय के परिसर या निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि-गृह के प्रकार का कोई निवास-स्थान भी है, प्रतिष्ठापित किया जाना है ;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र (जो संगणक नहीं है) ;

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे यह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा) ;

(घ) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाना है,

वहां इस प्रकार उपयोग की गई संपूर्ण रकम को, उस पूर्ववर्ष के कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार वह, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।';

(च) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1942 का 7

'(क) "काफी बोर्ड" से काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 के अधीन स्थापित काफी बोर्ड अभिप्रेत है ;

1981 का 61

(कक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ;'।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,— धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (iii) में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु विद्यमान कारबार या वृत्ति के विस्तारण के संबंध में नई आस्ति (चाहे लेखा बहियों में पूंजीगत हो या नहीं) के अर्जन के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत उस तारीख से, जिसको आस्ति के अर्जन के लिए पूंजी उधार ली गई थी, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक की, जिसको ऐसी आस्ति पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, किसी अवधि के लिए, संदत्त ब्याज कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ख) खंड (viiक) के उपखंड (क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या किसी गैर अनुसूचित बैंक को, उसके विकल्प पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतियों के मोचन से उत्पन्न आय से अनधिक रकम के लिए पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की और कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की विवरणी में प्रकट न कर दी गई हो ;';

(ग) खंड (x) में, "धारा 10 के खंड (23ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित कोई विनिमय जोखिम प्रशासन निधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (xi) के नीचे स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), जो किसी निगम या किसी निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा, उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए गठित या स्थापित है, जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, उपगत किया गया है ।"।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 40 का संशोधन।

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(i) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन के पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि, जो,—

(अ) भारत के बाहर ; या

(आ) भारत में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को,

संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् कर का संदाय नहीं किया गया है :

परंतु जहां किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है वहां ऐसी राशि की, उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है और पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पूर्व संदाय किया गया है वहां ऐसी राशि की उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(आ) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है ;';

(ख) उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iii) कोई ऐसा संदाय, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह,—

(अ) भारत के बाहर ; या

(आ) किसी अनिवासी को,

संदेय है और यदि अध्याय 17ख के अधीन उस पर न तो कर संदत्त किया गया है, न ही उसकी उससे कटौती की गई है ;'।